**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3101

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

[

**शिक्षा की वार्षिक स्थिति के प्रतिवेदन में प्रतिकूल निष्कर्ष**

**3101. डा॰ आर॰ लक्ष्मणनः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

[

(क) क्या शिक्षा की वार्षिक स्थिति के प्रतिवेदन (एएसईआर) में किन्हीं प्रतिकूल निष्कर्षों की जानकारी सरकार को दी गई थी या सरकार ने ऐसे निष्कर्षों पर स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारी उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क)और (ख): उपलब्धि सर्वेक्षण एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) में जारी किए जाते हैं। यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित एक घरेलू सर्वेक्षण है। एएसईआर 2017 प्रतिवेदन के अनुसार 14-18 आयु समुह के 86 प्रतिशत युवा, चाहे वह स्‍कूल में हों या कॉलेज में, अभी भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अन्‍दर हैं और 14-18 आयु समूह के 75 प्रतिशत बच्चे अपनी भाषा में आधारभूत पाठ धाराप्रवाह रूप में पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्‍त, नमूने में 14 वर्ष के सभी 53 प्रतिशत बच्‍चे अंग्रेजी वाक्‍यों को पढ़ सकते हैं। 18 वर्षीय युवा के लिए यह आंकड़ा 60 प्रतिशत के करीब है। इनमें से जो बच्‍चे अंग्रेजी वाक्‍य पढ़ सकते हैं, उनमें से 79 प्रतिशत बच्‍चे वाक्‍य का अर्थ बता सकते हैं। साथ ही, सर्वेक्षण किए गए 76 प्रतिशत युवा रूपयों को सही से गिन सकते हैं और 56 प्रतिशत युवा वजन को किलोग्राम में सही से जोड़ सकते हैं और जिनके पास मूलभूत अंकगणित कौशल है उनके लिए आंकड़ा क्रमश: 90 प्रतिशत और 76 प्रतिशत के करीब था। तथापि, प्रतिवेदन में यह सूचित किया गया है कि केवल 43 प्रतिशत छात्र सही से 3 अंक वाली संख्‍या का 1 अंक वाली संख्‍या से सही भाग कर सकते हैं। स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस एएसईआर 2017 सर्वेक्षण के साथ नहीं जुड़ा था।

(ग) से (ड.): भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्‍ता पर ध्‍यान देने के लिए कई पहलें की हैं। केन्‍द्रीय आरटीई नियमों को कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम परिणामों पर संर्दभ शामिल करने के लिए 20 फरवरी, 2017 को संशोधित किया गया है। प्रारंभिक चरण तक प्रत्‍येक परीक्षा के लिए भाषा (हिन्‍दी, अंग्रेजी और उर्दू), गणित, पर्यावरण अध्‍ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अधिगम परिणामों को तदनुसार अन्तिम रूप दिया गया है और सभी राज्‍यों तथा संघ राज्‍यक्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। ये अधिगम परिणाम राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों के लिए एक दिशानिर्देश का कार्य करेंगे जिनसे यह सुनिश्चित होगा की सभी बच्‍चे उचित अधिगम स्‍तर अर्जित करें।

राष्‍ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 13 नवम्‍बर, 2017 को आयोजित किया गया था जिसके माध्‍यम से सभी 36 राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों में 700 जिलों में 1.10 लाख स्‍कूलों से कक्षा III, V और VIII के लगभग 22 लाख छात्रों के अधिगम स्‍तरों का मूल्‍यांकन किया गया था। यह सक्षमता आधारित मूल्‍यांकन एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए अधिगम परिणामों पर आधारित था। इस विभाग द्वारा एनएएस 2017 के लिए जिला रिपोर्ट कार्ड (अस्‍थाई) जारी किए गए हैं और ये एमएचआरडी की वेबसाइट पर उपलब्‍ध हैं। एनएएस के माध्‍यम से यह पहली बार है कि शिक्षकों के पास यह समझने का साधन है कि विभिन्‍न कक्षाओं में बच्‍चों को वास्‍तव में क्‍या सीखना चाहिए, यह क्रियाकलापों के माध्‍यम से किस तरह पढ़ाया जाए और किस प्रकार यह मापा और सुनिश्‍चित किया जाए की बच्‍चे अपेक्षित स्‍तर पर पहुंच गए हैं। इसी तरह, एक जिला स्‍तरीय नमूना कार्यढांचे के साथ कक्षा X के छात्रों के लिए राष्‍ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 5 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 15.5 लाख छात्र को शामिल किया गया था।

आरटीई अधिनियम, 2009 को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक 31 मार्च, 2019 तक अधिनियम के तहत निर्धारित न्‍यूनतम योग्‍यता अर्जित करें। राष्‍ट्रीय मुक्‍त विद्यालयी संस्‍थान (एनआईओएस) को मुक्‍त दूरस्‍थ अध्‍ययन (ओडीएल) पद्धति के माध्‍यम से य‍ह प्रशिक्षण आयोजित करने का दायित्‍व सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्‍त, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्‍येक शिक्षा वर्ष की समाप्‍ति पर कक्षा पांच और कक्षा आठ के बाद में नियमित परीक्षा शुरू करने के लिए आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 16 को संशोधित किया जाए। संसद में पेश किए गए प्रस्‍तावित संशोधन के अनुसार यदि एक बच्‍चा उक्‍त परीक्षा में अनु‍र्त्‍तीण होता है तो उसे अतिरिक्‍त शिक्षण दिया जाएगा और परिणाम की घोषणा के दो माह की अवधि के भीतर पुन: परीक्षा के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि किसी मामले में बच्‍चा दूसरे प्रयास में विफल रहता है संबंधित सरकार इस रीति और इन शर्तों के अध्‍यधीन जैसा कि निर्धारित की गई हों, स्‍कूलों को पांचवी कक्षा या आंठवी कक्षा या दोनों कक्षाओं में बच्‍चे को अगली कक्षा में जाने से रोकने की अनुमति दे सकती है, संबंधित सरकार यह भी निर्णय ले सकती है कि बच्‍चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में ना रोका जाए। इसके अतिरिक्‍त किसी भी बच्‍चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्‍कूल से नहीं निकाला जाएगा। यह जवाबदेही और जिम्‍मेदारी में वृद्धि करेगा जिससे अधिगम परिणामों में सुधार आएगा।

उपर्युक्‍त के अतिरिक्‍त केन्‍द्र सरकार राज्‍यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों को एसएसए के उप-कार्यक्रम नामत: ‘पढ़े भारत बढ़े भारत’ (पीबीबीबी) के माध्‍यम से पूर्व ग्रेड पठन, लेखन और बोध, और पूर्व गणित कार्यक्रम पर सहायता प्रदान करती है। इसके अ‍लावा राष्‍ट्रीय आविष्‍कार अभियान (आरएए) को 09.07.2015 को एसएसए और राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के सम्मिलित फ्रेमवर्क के रूप में शुरू किया गया है जिसे 6-18 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में प्रेरित किया जा सके और जोड़ा जा सके। साथ ही, राज्‍यों को अधिगम में सुधार के लिए विभिन्‍न अन्‍य हस्‍तक्षेपों जैसे सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, उपचारात्‍मक शिक्षण के माध्‍यम से अधिगम संवर्धन, डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्‍यम से अध्‍ययन आदि में सहायता दी जाती है।

**\*\*\*\*\***